प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1— मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शिविर)/ 72072-164 /2017—18 दिनांक 16—02—2018

विषयः—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा—1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में शैक्षिक सत्र 2018—19 में ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2018 से आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक—शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शिविर)/71958—72056/2017—18 दिनांक 16.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा—1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु विकसित किये गये ऑनलाइन पोर्टल(http://rte25.upsdc.gov.in) पर विद्यालयों की मैपिंग का कार्य दिनांक 25.02.2018 तक पूर्ण कराये जाने विषयक है।

आप अवगत है कि दिनांक **14.02.2018** से उक्त पोर्टल के माध्यम से आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाने थे जो विद्यालयों की मैपिंग पूर्ण नहीं होने के कारण नहीं किये जा सके। अतः दिनांक 25.02.2018 तक मैपिंग का कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण करा ले जिससे **दिनांक 26.02.2018** से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा सके। यदि मैपिंग का कार्य दिनांक **25.02.2018** तक पूर्ण नहीं किया गया तो पोर्टल से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जा सकेगें जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(ललिता प्रदीप)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(बेसिक)
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।